न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—93/2020/223 (2020/00093)

1. शंकरलाल पुत्र स्व0 कालू,
2. पवन पुत्र स्व0 कालू,
3. सरस्वती पुत्री स्व0 कालू,
4. श्रीमती श्रवणी पत्नि स्व0 गजानन्द,
5. कमल पुत्र स्व0 गजानन्द,
6. शारदा पुत्री स्व0 गजानन्द,
7. सुगना पुत्र स्व0 गजानन्द,
   समस्त जाति खटीक, निवासी ग्राम भटियाणी, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
8. रामसुख पुत्र राजू (मृतक) जरिये वारिसानः—
   8/1— शम्भू पुत्र रामसुख, जाति खटीक, निवासी ग्राम भटियाणी, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
   8/2— गीता पुत्री रामसुख पत्नि शंकरलाल, जाति खटीक, निवासी खटीक मौहल्ला, भिनाय, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 4.3.2020 अंतर्गत वाद संख्या 39/1916.

उपस्थितः—

1. श्री छीतरमल टेपण, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 13.10.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 4.3.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस संख्या 1 लगायत 8 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पो0 के विरूद्ध वाद वास्ते उद्घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भटियानी, तहसील नसीराबाद की वर्किंग खसरा नंबर 2568 भूमि में से दिनांक 13.10.1971 को राजू पुत्र गोपाल खटीक को 17 बीघा एवं रामसुख पुत्र राजू खटीक को 17 बीघा एवं कालू पुत्र राजू खटीक को 17 बीघा भूमि का आवंटन ग्राम भटियानी कैम्प में भूमिहीन होने से किया गया तथा

उपरोक्त वर्किंग खसरा नंबर 2568 का 2568/3168, 2568/3137 एवं 2568/3136 मिन के रूप में वादीगण एवं उनके पूर्वज को भूमि का आवंटन किया गया ओर कब्जा भी सुपुर्द किया गया तब से आवंटी राजू, रामसुख एवं कालू काबिज चले आ रहे थे । राजू पुत्र गोपाल की मृत्यु हो गई जिसके दो पुत्र रामसुख व कालू है । उपरोक्त भूमि पर वादीगण काबिज है परन्तु वर्किंग जमाबंदी के मिन नंबर के बाबत् नियमानुसार आवंटन आदेश दिनांक 13.10.1971 से वादीगण/आवंटी के नाम खातेदारी दर्ज करने के बजाय बंदोबस्त विभाग एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि को गैर कानूनी तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया जो वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज होनी चाहिये थी । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने प्रकरण को राजस्व कैम्प में रखते हुए दिनांक 18.6.2016 को खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांटस द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 11.4.2017 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण को पुनः विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित कर दिया । पत्रावली पुनः उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के न्यायालय में प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 निर्णय व डिक्री दिनांक 4.3.2020 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने लिखित बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने कैम्प भटियानी में दिनांक 13.10.1971 को राजू पुत्र गोपाल, कालू पुत्र राजू, रामसुख पुत्र राजू खटीक निवासी भटियानी को भूमिहीन मानकर ग्राम भटियानी में कृषि भूमि खसरा नंबर 2568 ममें प्रत्येक को 17–17 बीघा भूमि नियमानुसार आवंटित कर कब्जा सुपुर्द किया था । मूल आवंटन रजिस्टर की प्रोसिडिंग की प्रमाणित प्रति एक्जी.1 पत्रावली में संलग्न है । इस रजिस्टर में आवंटन मिनिट्स लिखे गए है । इस रजिस्टर के इंडेक्स में ग्राम भटियानी की कैम्प तिथि दिनांक 13.10.1971 लिखी गई है । सभी आवंटियों के नाम पृष्ठ संख्या 51 से 53 पर दर्ज है । खसरा नंबर 2568 के पुराने नंबर 1734 मिन थे । खसरा गिरदावरी में संवत् 2030–2033 में आवंटियों के नाम दर्ज है जो एक्जी0 6 है । उपरोक्त तीनों आवंटियों में से एक आवंटी राजू पुत्र गोपाल की मृत्यु होने पर उसका विरासत नामांतकरण संख्या 28 दिनांक 8.7.1977 से फौती इंतकाल तस्दीक किया जाकर आवंटी के वारिसान कालू व रामसुख का नाम गैर खातेदारी की हैसियत से राजस्व अभिलेख में अंकित कर दिये गये थे जो एक्जी0 3 से प्रमाणित है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अजमेर जिले में भू–संशोधन की कार्यवाही के दौरान आवंटित भूमि के अनुसार उपरोक्त तीनों आवंटियों के खसरा नबर 2568 का अंकन भू–संशोधन जमाबंदी में किया जाकर आवंटियों को गैर खातेदारी दी जाकर कब्जा के अनुसार नक्शा में तरमीम कर आवंटन के अनुसार रिकार्ड में नाम अंकित किया गया था । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण द्वारा धारा 151 का प्रार्थन पत्र प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार नसीराबाद से भू–संशोधन का रिकार्ड तलब किया गया था जिससे भी यह स्पष्ट था कि प्रत्येक आवंटी को 17–17 बीघा भूमि आवटित की गई थी किन्तु भू–संशोधन की कार्यवाही के दौरान बाद में गलत रूप से हमारी आवंटित भूमि को बिना हमें सुने, विधिविरूद्ध रूप से

बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के सिवायचक घोषित कर दिया गया । भू–प्रबंध विभाग को बिना सक्षम न्यायालय के आदेशों के आवंटित भूमि को सिवायचक घोषित करने का विधिक अधिकार नहीं है । आवंटी आवंटित भूमि पर आज दिवस तक काबिज काश्त है । अधी0न्याया0 द्वारा पूर्व में अपीलांटस के वाद को कैम्प कोर्ट में रखकर अपीलांटस/वादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना खारिज कर दिया था जिसके विरूद्ध अपीलांटस द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की गई थी जिसे न्यायालय हाजा ने आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि वादीगण के प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित करे किन्तु अधी0न्याया0 ने न्यायालय हाजा के निर्देशों की अनदेखी कर वादीगण का वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में यह भी कथन कि अपीलांटस के पक्ष में हुए आवंटन आदेश को आदेश 14 (4) के तहत कलक्टर द्वारा ही निरस्त किया जाकर बेदखल किया जा सकता है किन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलांटस के पक्ष में हुए आवंटन आदेश आज दिवस तक यथावत् है । खसरा गिरदावरी संवत् 2030 से 2033 में अपीलांटस की काश्त दर्ज है । यह भी कथन किया कि अपीलांटस के साथ अन्य व्यक्तियों को भी विवादित भूमि में आवंटन हुआ था जिन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है। वादी/अपीलांट ने आवंटन आदेश की प्रति पेश नहीं की है । भटियानी कैम्प दिनांक 13.10.1971 की जो प्रति प्रस्तुत की है वह मात्र सरपंच व वार्ड पंच के हस्ताक्षर वाली अनुशंसा मात्र है जिसके आधार पर की गई कार्यवाही का विवरण वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । भूमिहीन कृषकों को आवंटन की अनुशंसा कार्यवाही पश्चात् क्या कार्यवाही अमल में लाइर्द गई इस बाबत् कोई कार्यवाही विवरण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । विवादित भूमि आज दिवस तक सिवायचक राजकीय भूमि रही है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । वादीगण/अपीलांटस ने विवादित आराजियात उन्हे व उनके पूर्वजों को आवंटन होने का कथन किया है । तथाकथित आवंटन के संबंध में अपीलांटस ने भटियानी कैम्प दिनांक 13.10.1971 की जो प्रति पेश की है उस पर केवल मात्र सरपंच, ग्राम पंचायत, भटियानी के हस्ताक्षर है। अपीलांटस ने अपने अपील मीमों में उल्लेखित कथनों के समर्थन में आवंटन प्रपत्र, आवंटन आदेश की प्रतियां पेश नहीं की है तथा न ही आवंटन के उपरांत आवंटियों को आवंटित भूमि का कब्जा सुपुर्द किये जाने तथा आवंटन आदेश की पालना में राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार दर्ज किये जाने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश किये है । उपरोक्त वांछित दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में अपीलांटस के पक्ष में विवादित भूमि का आंवटन होना सिद्ध नहीं माना जा सकता है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस निरस्त योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

8. अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4.3.2020 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 13.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेरृ